क्रेता सावधान का सिद्धान्त (Principle of Caveat Emptor) –

क्रेता सावधान का सिद्धान्त माल-विक्रय अधिनियम की धारा-16 में दिया गया है। सामान्य नियम यह है कि विक्रय संविदा के अन्तर्गत दिये गये माल की क्वालिटी के बारे में या इसके किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उसकी योग्यता के बारे में विवक्षित वारण्टी या शर्त नहीं होती है। यह क्रेता सावधान के सिद्धान्त (Principle of Caveat Emptor) पर आधारित है। –

क्रेता सावधान के सिद्धान्त के अनुसार – क्रेता को माल खरीदते समय सतर्क रहना चाहिए और अपने विवेक से काम लेना चाहिए व स्वयं इस बात की जाँच करनी चाहिए कि माल उस प्रयोजन (उद्देश्य) हेतु उपयुक्त है या नहीं जिस प्रयोजन हेतु माल खरीदा जा रहा है। धारा-16 क्रेता सावधान के सिद्धान्त पर आधारित है। धारा-16 के अनुसार इस अधिनियम के या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए जिस माल की खरीद विक्रय की संविदा के अधीन की गई है उसकी क्वालिटी के बारे में या किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसकी उपयोग्यता के बारे में विवक्षित शर्त या वारण्टी नहीं होगी। अतः सामान्य नियम यह है कि क्रेता को माल क्रय करने में सावधान रहना चाहिए और माल के गुणों और दोषों की जांच स्वयं

उसे करनी चाहिए और उसे स्वयं इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि माल जिस प्रयोजन के लिए वह ले रहा है उसके लिए उपयुक्त है या नहीं।

Case-1- Andrew Yelu & Comp. Re. A.I.R., 1932 Kalkatta.

इस वाद में क्रेता ने पैकिंग के उद्देश्य से टार खरीदा लेकिन विक्रेता को अपना उद्देश्य नहीं बताया, टार पैकिंग के उद्देश्य हेतु उपयुक्त नहीं था। न्यायालय ने विक्रेता को उत्तरदायी नहीं माना क्रेता माल अस्वीकार नहीं कर सकता है।

Case-2. Diction Kerlee V. Robbinson, 1965

इस वाद में क्रेता ने विक्रेता को अपने निर्देशानुसार जहाज बनाने का आर्डर दिया, विक्रेता ने निर्देशानुसार जहाज निर्मित कर दिया लेकिन जहाज क्रेता के उद्देश्य हेतु उपयुक्त नहीं निकला, न्यायलय ने घोषित किया क्रेता जहाज अस्वीकार नहीं कर सकता, विक्रेता दायी नहीं होगा।

Case-3. Sons V. Paizzet, 1890 Q.B.D. 650.

क्रेता ने विक्रेता से वर्दी बनाने के लिये कपड़ा खरीदा। विक्रेता को क्रेता के उद्देश्य की जानकारी नहीं थी। कपड़ा में कुछ दोष था जिस कारण कपड़ा वर्दी बनाने के लिए उपयुक्त नहीं था परन्तु अन्य उद्देश्य हेतु उपयुक्त था। न्यायालय ने विक्रेता को दायी नहीं ठहराया।

धारा -16 में क्रेता सावधान के सिद्धान्त का प्रावधान है यह सामान्य सिद्धान्त कोई Absolute (पूर्ण) सिद्धान्त नहीं है यह सिद्धान्त कुछ अपवादों के अध्यधीन है। अर्थात सामान्य सिद्धान्त में जहाँ विक्रेता को दायित्व से मुक्ति प्रदान की गई है और क्रेता पर सावधान रहने का भार डाला गया है वहीं आपवादिक स्थिति में विक्रेता को उत्तरदायी बनाया जा सकता है और क्रेता भी सावधान रहने के भार से मुक्त हो सकता है। अर्थात शर्तें और वारण्टी हो सकती है

धारा 16 एवं 17 में क्रेता सावधान सिद्धान्त के कुछ अपवाद दिये गये हैं। अर्थात विक्रय संविदा में अग्रलिखित विवक्षित शर्तें भी होती है।

1. Sec 16(1) – प्रयोजन के लिए उपयुक्त रूप से उपयुक्त होने की शर्त – Page. 28 व 29 देखें

2. Sec 16(2) वाणिज्यिक क्वालिटी की शर्त (Condition of Merchantable quality) – Page. 29 & 30 देखें

3. Sec 16(3) व्यापार की प्रथा द्वारा संलग्न शर्तें – Page. 30 देखें

4. Sec 17. नमूने द्वारा विक्रय में शर्तें – Page. 31 देखें